कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर
नगर पालिक निगम रायपुर , रायपुर (छ.ग)
फोन.नं- 0771-2535780, 90, फैक्स : 0771-2227395 E-mail :-dc_rmc@rediffmail.com

क्रमांक 125 /मो.कर्म/न.पा.नि./2016 रायपुर, दिनांक 04/09/2016

—: अभिव्यक्ति की रूचि (EOI) :—

नगर पालिक निगम रायपुर के मोटर कर्मशाला अन्तर्गत Eicher chassis में निर्मित 2 नग रोड़ स्वीपिंग मशीन में आवश्यक मरम्मत एवं 1 वर्ष के संचालन/रखरखाव हेतु आउट सोर्सिंग से हैवी वाहन संचालन करने वाले अनुभवी फर्मो द्वारा दिनांक 03.11.2016 को अपरान्ह 3:00 बजे तक दरें आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को इसी दिवस सायं 4:00 बजे निविदाकार की उपस्थिति में खोली जावेगी।

निविदा से संबंधित जानकारी दिनांक 02.11.2016 तक नगर पालिक निगम के वेबसाईट http://nagarnigamraipur.nic.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। डाउनलोड किए जाने पर निविदा प्रपत्र की राशि रू. 500/— का D.D. (आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम पर) के रूप में निविदा के साथ जमा करना होगा। अथवा कार्यालयीन समय में रू. 500/— नगद जमाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर (छ.ग.)

F/ /M.work/hindi ltr

<u>कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)</u>

–:: वाहन/मशीन मरम्मत का विस्तृत विवरण ::–

1. वाहन/मशीन का मरम्मत कार्य मोटर कर्मशाला नगर पालिक निगम, टिकरापारा रायपुर में किया जाना होगा।
2. वाहन/मशीन के Engine का पूरा Over Haulling करना होगा जिसके अन्तर्गत, लगने वाले सभी स्पेयर पार्ट्स OEM द्वारा Recommended होना चाहिए।
3. बैटरी Exide कम्पनी का निर्धारित Volt, Plate एवं Ampere का होना चाहिए।
4. वाहन/मशीन का पूरा Oil जैसे Engine Oil, Hydraulic Oil, Transmission Oil एवं सभी फिल्टरों को बदली करना होगा
5. चारों पहियों का व्हील सर्विसिंग करना होगा।
6. वाहन/मशीन का पूरा वायरिंग ठीक करना/बदलना होगा।
7. वाहन/मशीन के सभी स्वीपिंग ब्रशे नया बदली करना होगा।
8. वाहन/मशीन के सम्पूर्ण Dust फिल्टर को बदली किया जाना होगा।
9. सभी न्यूमेटिक पाइप को बदली किया जाना होगा।
10. मशीन के हाइड्रॉलिक पम्प, मोटर एवं सिलेन्डर के सील कीट को बदली करना होगा।
11. पहले एक वाहन/मशीन में मरम्मत कार्य हेतु कार्यादेश दिया जाएगा। कार्यादेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर सम्पूर्ण कार्य सम्पादित कर संचालन करना होगा। इस मशीन के 15 दिवस तक सफलता पूर्वक संचालन उपरांत ही द्वितीय वाहन/मशीन हेतु कार्यादेश दिया जावेगा।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, मोटर कर्मशाला रायपुर (छ.ग.)

निविदा प्रपत्र

1. कार्य का नाम :– ....
2. निविदा सूचना जारी होने का दिनांक :– ....
3. निविदा प्रपत्र प्रदाय किये जाने का अंतिम दिनांक .... समय कार्यालयीन अवधि में स्थान मोटर कर्मशाला,, नगर पालिक निगम, टिकरापारा रायपुर (छ.ग.)
4. निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जाने का अंतिम दिनांक .... समय..........................बजे तक।
5. निविदा खोलने का दिनांक............................ समय.......................बजे तक।
6. निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानती राशि DD/FDR के रूप में बैंक का नाम /नंबर/.... .... वैद्यता 13 माह के लिए।
7. निविदाकार का नाम (जिसे निविदा जारी की गई है।)

मैं/हम मेसर्स... निविदा प्रपत्र में दिये विस्तृत विवरण एवं निर्धारित शर्तो के अधीन रोड़ स्वीपिंग मशीन का मरम्मत तथा संचालन एवं रखरखाव कार्य हेतु निम्नानुसार दरों का ऑफर प्रस्तुत करता हूँ/करते है।

क्र	कार्य का नाम	दरें (समस्त करों सहित)
1	रोड़ स्वीपिंग मशीन का मरम्मत कार्य प्रति वाहन/मशीन हेतु।	
2	रोड़ स्वीपिंग मशीन का संचालन एवं रखरखाव प्रतिमाह, प्रति मशीन अनुसार।	

मैंने/हमने निविदा की सभी शर्तो, एवं निविदा प्रकिया का पूर्ण अवलोकन कर लिया है। यदि यह निविदा स्वीकृति की जाती है, तो मैं/हम निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तो एवं प्रकिया का पूर्णतः यथावत पालन करना/करेंगे।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

–:: संचालन एवं रखरखाव की शर्ते ::–

1. निविदाकार को वाहन/मशीन मरम्मत कार्य तथा संचालन एवं रखरखाव हेतु पृथक–पृथक दर प्रस्तुत करना होगा।
2. वाहन/मशीन में किए गए आवश्यक मरम्मत कार्य में 6 माह का वारंटी देना होगा, इस हेतु निविदा के साथ जमा किये गए अमानत राशि 6 माह तक सुरक्षा राशि के रूप में नगर पालिक निगम रायपुर के पास जमा रहेगी।
3. निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रू. 30,000/– (अक्षरी तीस हजार रूपये मात्र) का D.D/FDR आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर के नाम पर जमा करना होगा।
4. नगर पालिक निगम रायपुर की स्वामित्व की स्वीपिंग मशीन का रख–रखाव एवं संचालन का कार्य निविदाकार द्वारा किया जावेगा।
5. कार्य समाप्ति के उपरांत निविदाकार को रोड स्वीपिंग मशीन सही एवं चालू हालत में निगम को वापिस करना होगा। कार्य समाप्ति के उपरांत यदि मशीन में किसी भी प्रकार की खराबी पायी गई तो उसे निगम द्वारा दूरूस्त कराया जाकर यह राशि ठेकेदार के सुरक्षा निधि में से काट ली जायेगी।
6. वाहन/मशीन में कार्यरत कर्मचारियों को वर्दी प्रदाय की व्यवस्था निविदाकार को करना होगा।
7. वाहन संचालन में किसी भी प्रकार की दुर्घटना हेतु इन्श्योरेन्स क्लैम का भुगतान निविदाकार को करना होगा।
8. वाहन मशीन संचालन अवधि में किसी भी प्रकार की दुर्घटना, तोड़फोड़ एवं किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
9. निविदाकार को एक उपस्थिति पंजी वाहन में रखना होगा जिसमें प्रतिदिन की कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जावेगी एवं कार्य पंजी (लागबुक) भी रखना होगा जिसमें प्रतिदिन कार्य का विवरण दर्ज करना होगा। प्रतिदिन कार्य समाप्ति पश्चात दोनों पंजी का अवलोकन संबंधित अधिकारी से करवाना होगा।
10. निविदाकर्ता को दर स्वीकृति पश्चात् कार्य का अनुबंध करना होगा।
11. कार्य अवधि का अनुबंध एक वर्ष का होगा। आवश्यकता पड़ने पर आपसी सहमति से 1 वर्ष तक पुनः समयावृद्धि की जा सकेगी।
12. निविदा दर स्वीकार अथवा अस्वीकार का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को होगा। इसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

13. प्रत्येक माह का काग्र के देयक के साथ वाहन/मशीन में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी, कार्य पंजी (लागबुक) की प्रतिलिपि, कार्य संतोषजनक का प्रमाण पत्र की रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।

14. प्रत्येक माह के देयक से 5 प्रतिशत सुरक्षा निधि की कटौती की जावेगी, जिसका भुगतान अंतिम देयक में होगा।

15. निविदाकार अनुबंध अनुसार अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकता यदि अनुबंध के बीच की अवधि में कार्य छोड़ गया तो जमा सुरक्षा निधि की राशि राजसात की जावेगी।

16. वाहन/मशीन में सुधार कार्य उपरांत 6 माह के भीतर लगने वाले पार्ट्स की व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी।

17. वाहन/मशीन के लिये फ्यूल/ईधन/आयल की पूर्ति नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा की जावेगी।

18. वाहन/मशीन से संबंधित सुधार कार्य नगर पालिक निगम रायपुर के मोटर कर्मशाला में कर्मशाला प्रभारी को उपस्थिति में निविदाकार को करना होगा या जिस जगह कराया जावेगा इसकी सूचना देनी होगी।

19. वाहन/मशीन का संचालन के लिये नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा नियुक्त कर्मचारी को निःशुल्क प्रशिक्षण निविदाकार को करवाना होगा।

20. यदि निविदाकार द्वारा चालक/आपरेटर एवं कर्मचारी नगर पालिक निगम रायपुर की आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं करेगा और निगम, द्वारा अपने स्तर में व्यवस्था करती है तो निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना दर्शायी गई राशि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत का अर्थदण्ड किया जावेगा एवं वाहन/मशीन के संचालन में किसी भी प्रकार की होगी उसकी जिम्मेदारी निविदाकार की होगी एवं सुधार कार्य निविदाकार को करना होगा जिसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर का निर्णय निविदाकार को मान्य होगा।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर (छ.ग.)